



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गोरा देवी पर्यावरण भवन" 46वीं, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail: msukpcb@yahoo.com, दूरभाष: 0135-2607092



पत्रांक-यूकेपीसीबी / एच0ओ0 / एन0ओ0सी0-8166 / 2025 / 347

दिनांक 26.05.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मै0 कैलाश रीवर बैड मिनरल्स एल०एल०पी०, लेन नं० 2, गोविंद नगर, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून द्वारा नरोखाला 20 / 12, नरोखाला नदी पर खसरा नं० 82क एवं 109क, ग्राम - कटापथर, तहसील - विकासनगर, जिला - देहरादून में रेत, बजरी एवं बोल्टर खनन परियोजना (0.225 हेक्टेयर) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आई.ई.आई.ए. अधिसूचना 14.06.2006 (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून या उनके द्वारा नामित / अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो- लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25 - सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरा देवी पर्यावरण भवन, 46-बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेहरू कॉलोनी, देहरादून, (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून (v) कार्यालय, जिला पंचायत, विकासनगर (vi) जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून में उपलब्ध हैं, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था / व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

मै० कैलाश रीवर बैड मिनरल्स एल०एल०पी०, 28 लेन नं० 2, गोविंद नगर, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून द्वारा नरोखाला 20 / 12, नरोखाला नदी पर खसरा नं० 82क एवं 109क, ग्राम - कटापथर, तहसील - विकासनगर, जिला - देहरादून में रेत, बजरी एवं बोल्टर खनन परियोजना (0.225 हेक्टेयर) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 28.06.2025 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SOP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षामक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियों इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेहरू कॉलोनी, देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Devin's Jagran, 27.5.2025

